प्रेस नोट थाना न्यू आगरा आगरा

सनसनीखेज दयालबाग क्षेत्र से दिनांक 21.6.2021 को अपहृत सचिन चौहान की हत्या कर 02 करोड़ रूपये की फिरौती हेतु बसूले जाने की मंशा की घटना का सफल अनावरण व घटना में 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 28.6.2021 को वादी श्री एस.एस. चौहान पुत्र सोबरन सिंह नि0 17 जयरामबाग थाना न्यू आगरा आगरा द्वारा थाना न्यू आगरा पर सूचना दी कि दिनांक 23.06.2021 को मैंने अपने पुत्र सचिन चौहान के अचानक गायब हो जाने के सम्बन्ध में गुमशुदगी दर्ज करायी थी। दिनांक 21.06.2021 की रात्रि को मेरी पत्नी ने बेटे के मोबाइल पर फोन किया जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उठाया गया। उसने कहा कि सचिन अभी होश में नहीं है अभी बात नहीं हो पायेगी और फोन काट दिया तब से लगातार मेरे पुत्र को फोन बन्द आ रहा है। मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस सम्बन्ध में थाना न्यू आगरा पर मु0अ0सं0 184/21 धारा 364 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त अपहर्त की बरामदगी व संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक नगर आगरा के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी हरीपर्वत के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी न्यू आगरा को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी, पम्पलेट, पूछताछ करते हुये सम्भावित स्थानो पर तलाश किया गया। विवेचना के आधार पर 1. हैप्पी खन्ना, 2.सुमित आसवानी, 3. मनोज बंसल, 4. रिंकू व 5. हर्ष के नाम प्रकाश में आये। पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये हैप्पी खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण : –

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त हैप्पी से पूछताछ करने पर बताया गया कि हम सभी ने मिलकर दिनांक 21.6.2021 को सचिन चौहान को उसके घर वाली गली से अपहरण एवं हत्या कर वल्केश्वर घाट आगरा में ले जाकर कोरोना से मृत्यु होना बताकर रवि शर्मा के नाम से अंतिम संस्कार करा दिया था। अभियुक्त हैप्पी उपरोक्त घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम के साथ रवाना हुए। इसी दौरान घटना में संलिप्त मनोज बंसल को देवरी रोड थाना सदर बाजार आगरा से गिरफ्तार किया गया। मनोज बंसल से पूछताछ करने पर उसने बताया कि सुमित ने मृतक सचिन का मोबाइल दिया और कहा कि इटावा या कानपुर जाकर मृतक सचिन के परिजनो से 02 करोड़ रूपये की फिरौती की मांग

करना। मैने दिनांक 21.6.21 को समय करीब रात्रि 11.55 बजे परिजनो को फोन किया कि वह मेरे साथ है और मोबाइल को झकरकटी बस अड्डे पर कूड़ेदान में फेक दिया था। अन्य शेष की गिरफ्तारी हेतु रवाना हुए इसी क्रम में अभियुक्त सुमित असवानी उपरोक्त को तुलसीबिहार दयालबाग थाना न्यू आगरा क्षेत्र से मय मारूती शियाज नं0 UP80EX9184 के गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सुमित असवानी ने बताया कि उक्त घटना मैने हर्ष चौहान पुत्र लेखराज नि0 04 सौरभ निकुन्ज दयालबाग न्यू आगरा , आगरा जो सचिन के पिता सुरेश चौहान के बिजनिस पार्टनर है , के कहने पर तथा मेरे 40 लाख रूपये जो सचिन चौहान ने उधार लिये थे को वापस लेने के कारण अपरहण कर उसके पिता से 02 करोड़ रूपये बसूल कर उधारी का पैसा अलग से फिरौती में बसूले गये पैसो में से हिस्सा देने का वादा करके कराया गया है। और उसने यह भी बताया कि उक्त घटना में अमित गुप्ता उर्फ लाला नि0 बृज विहार कालोनी आगरा की सफेद कलर की क्रेटा गाड़ी व रिंकू उपरोक्त की मारूति वैन गाड़ी का उपयोग घटना कारित करने में किया गया है। इस घटना में शामिल रिंकू पुत्र मनोहर सिंह नि0 एफ 850 कमलानगर आगरा को कमला नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त हर्ष चौहान उपरोक्त ने बाद पूछताछ अपराध कारित करने का इकबाल किया । उक्त अभियोग में धारा 364 का लोप करते हुए धारा 364ए/302/201/120बी/420/34 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

घटना कारित करने का कारण :-

अभियुक्त सुमित असवानी ने बताया कि मेरे द्वारा सचिन को 40 लाख रूपये उधार दिये थे। जिसको उसके द्वारा वापस नहीं किया जा रहा था। इस घटना को कारित करके मृतक सचिन के पिता से फिरौती के रूप में 2 करोड़ रूपये बसूल करने थे। हम सब लोगो का इरादा फिरौती में 2 करोड़ रूपये बसूल करने का था। जिसमे मध्यस्तता हर्ष चौहान द्वारा पूर्व में नियोजित षड़यन्त्र के तहत की जानी थी। जिसका पैसा 1 करोड़ रूपया हर्ष चौहान खुद लेता तथा 1 करोड़ रूपया हम सभी लोगो को मिलना था। हर्ष चौहान ने यह भी कहा था कि यदि फिरौती नहीं भी मिली तो भी मैं तुम्हारे 40 लाख रूपये दूंगा। इसके मरने के बाद मैं सब कुछ देख लूंगा।

अभि0गण से बरामदगी :-

01. 07 अदद मोबाइल फोन

02. 1200/- रूपये नगद

03. 02 अदद 4 पहिया वाहन

गिरफ्तार अभियुक्त की गिरफ्तारी का विवरण :-

1. सुमित असवानी पुत्र नारायण दास असवानी नि0 28 तुलसी विहार दयालबाग आगरा

2. हैप्पी खन्ना पुत्र स्व0 ओमप्रकाश खन्ना नि0 एफ 870 कमलानगर आगरा

3. मनोज बंसल पुत्र सीताराम नि0 एफ 532 कमलानगर आगरा

4. रिंकू पुत्र मनमोहन नि0 एफ850 कमलानगर आगरा

5. हर्ष चौहान पुत्र लेखराज चौहान नि0 04 सौरभ निकुन्ज दयालबाग न्यू आगरा , आगरा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक न्यू आगरा

02. निरीक्षक श्री उदय प्रताप सिंह एस.टी.एफ. इकाई आगरा

03. निरीक्षक श्री हुकुम सिंह एस.टी.एफ. इकाई आगरा

04. उ0नि0 प्रमोद कुमार, उ0नि0 श्री धूम सिंह, उ0नि0 श्री अमित गोस्वामी , मु0आ0 रामनरेश, मु0आ0 सन्तोष कुमार ,मु0आ0 बृजराज सिंह , आ0 प्रदीप कुमार, आ0 अंकित गुप्ता, आ0 विवेक कुमार, आदि एस.टी.एफ. इकाई आगरा